


# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा

जिला - झालावाड़ (राज.)

दुर्गाबाई बनाम जगन्नाथ कौंठ

किस्म मुकदमा प्राप्यत्र नं. 139 सन् 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियलस जज	संख्य व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
15/5/26	<p>प्राप्यत्र 09R9 CPC सक्षपित धारा-151 CPC पेश। प्रकरण बाद जॉच सीरिस्ता दर्ज शजिं किया गया। अप्राधीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावनी वास्ते इंतजार तलबी दि. 22/05/26 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> 15/5/26</p>	
22/05/26	<p>पत्रावनी पेश हुई। वकील जगन्नाथ उपरिस्तान/बदल प्राप्यत्र 09R9 CPC सुनी गई। प्राधीगण वासीरों द्वारा प्राप्यत्र अंकित कारण संतोषजनक होने एवं सम्पत्तीया से ही प्राप्यत्र पेश करने तथा अप्राधीगण द्वारा No objection लिखे जाने से प्राधीगण का प्राप्यत्र एबीकार किया जाता है। अप्राधीगण से पूर्व से जारी ex-parte order दिनांक 01/5/2026 को set-aside किया जाता है। प्रकरण फैसलामुक्त होकर नम्बल के क्रम होकर सुपवास से दिनांक 24/5/26 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)</p>	<p><i>[Signature]</i> जि. दुर्गाबाई</p> 

22/05/26  
 also objection  
*[Signature]*